

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक

C/1654

जबलपुर, दिनांक 04/07/2020

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर की स्थापना पर कार्यरत निम्नलिखित रिकार्ड सप्लायर/कोर्ट अटेंडेन्ट/अटेंडेन्ट/रुम अटेंडेन्ट को वाहन चालक के पद पर वेतनमान रूपये 5200-20200 +ग्रेड पे रु. 1900/- (7 वे वेतनमान में लेवल 4 पे मेट्रीक्स 19500-62000) में नियमानुसार समय-समय पर देय भत्तों सहित कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से निम्नांकित शर्तों पर अस्थायी एवं स्थानापन्न रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर की स्थापना पर नियुक्त/पदोन्नत किया जाता है:-

क्रमांक	नाम 2	वाहन चालक 3	टीप 4
1.	श्री गिरिजा प्रसाद मिश्रा आत्मज स्व. श्री शिवनाथ मिश्रा, रिकार्ड सप्लायर	वाहन चालक	रिक्त पद पर
2.	श्री रावेन्द्र कुमार कुशवाहा आत्मज श्री जगदीश प्रसाद कुशवाहा, कोर्ट अटेंडेन्ट/अटेंडेन्ट/रुम अटेंडेन्ट	वाहन चालक	रिक्त पद पर
3.	श्री राजकुमार कनौजिया आत्मज श्री विश्वनाथ कनौजिया, कोर्ट अटेंडेन्ट/अटेंडेन्ट/रुम अटेंडेन्ट	वाहन चालक	रिक्त पद पर
4.	श्री शिव कुमार दहायत आत्मज श्री रामप्रसाद दहायत, कोर्ट अटेंडेन्ट/अटेंडेन्ट/रुम अटेंडेन्ट	वाहन चालक	रिक्त पद पर
5.	श्री मारुत कुमार वर्मा आत्मज श्री दयाराम वर्मा, कोर्ट अटेंडेन्ट/अटेंडेन्ट/रुम अटेंडेन्ट	वाहन चालक	रिक्त पद पर
6.	श्री रवि शंकर रैकवार आत्मज श्री भवानी शंकर रैकवार, कोर्ट अटेंडेन्ट/अटेंडेन्ट/रुम अटेंडेन्ट	वाहन चालक	रिक्त पद पर
7.	श्री संजय कुमार कुशवाहा आत्मज स्व. श्री परागराम कुशवाहा, कोर्ट अटेंडेन्ट/अटेंडेन्ट/रुम अटेंडेन्ट	वाहन चालक	रिक्त पद पर
8.	श्री प्रदीप कुमार राजपूत आत्मज श्री उग्रसेन राजपूत, भूत्य(कोर्ट अटेंडेन्ट/अटेंडेन्ट/रुम अटेंडेन्ट	वाहन चालक	रिक्त पद पर

- यह कि, वे शपथ लें कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा व सच्ची निष्ठा रखेंगे।
- यह कि वे उच्च न्यायालय के सेवाकाल में किसी अन्य कार्यालय को किसी अन्य पद के लिए सीधे आवेदन नहीं करेंगे।
- यह कि, यदि वे सेवा से पृथक होना चाहेंगे तो उन्हें एक माह पूर्व सूचना देनी होगी अथवा सूचना के अभाव में एक माह के वेतन भत्तों के बराबर राशि नगद जमा करनी होगी।
- यह कि उनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी तौर पर है तथा उनकी सेवायें कभी भी बिना कारण बताये समाप्त कर दी जावेंगी।
- यह कि, वे बिना पूर्वानुमति के अग्रिम अध्ययन नहीं करेंगे और न ही उससे संबंधित परीक्षा में सम्मिलित होंगे, स्वाध्यायी छात्र के रूप में भी किसी शैक्षणिक अध्ययन करने या परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

6. यह कि, उनकी नियुक्ति इस उपबंध के साथ की जाती है कि वे किसी सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया स्वास्थ्यता एवं नेत्र परीक्षा का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। स्वास्थ्यता प्रमाण-पत्र का व्यय उन्हें स्वयं उठाना होगा।
7. यह कि, कर्मचारी को यह स्वीकार करना होगा कि प्रशासनिक आवश्यकता समझी जाने पर उन्हें खंडपीठ इंदौर/ग्वालियर की स्थापना पर सेवा करने हेतु स्थानांतरित किया जा सकेगा।
8. यह कि, जब भी उन्हें माननीय न्यायाधिपतिगण, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, एवं अधिकारियों द्वारा उच्च न्यायालय या उनके निवास स्थान पर अपने कर्तव्य पर उपस्थित होने अथवा उनके साथ मुख्यालय से बाहर दौरे पर जाने के निर्देश होंगे उनको तत्परता से पालन करना होगा।
9. यह कि, किसी भी अवकाश या सार्वजनिक अवकाश पर माननीय न्यायाधिपतिगण, रजिस्ट्रार जनरल अथवा अधिकारियों द्वारा कर्तव्य पर उपस्थित होने के निर्देशों का तत्काल पालन करेंगे।
10. यह कि, उनके प्रभार में सौंपी गयी स्टाफ कार अथवा उच्च न्यायालय के अन्य वाहन को पूर्ण रूप से व्यवस्थित, साफ-सुधरी या सुरक्षित रखने एवं समय-समय पर वाहन की सर्विसिंग कराने तथा आवश्यकता अनुसार डिस्ट्रिल्ड वाटर बदलने आदि की भी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
11. यह कि, नियमानुसार कर्तव्यपर उपस्थित होने के पूर्व वाहन चालक का लायसेंस प्रस्तुत करें एवं अपने कर्तव्य के समय लायसेंस अपने पास रखें।
12. यह कि, उन्हें घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वे अपने कर्तव्य के समय किसी नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करेंगे।
13. कर्मचारी को लिखित रूप से अभिस्वीकृति देनी पड़ेगी कि उसे उपर्युक्त सभी शर्तें मान्य हैं और भविष्य में समय-समय पर जो भी संशोधन अथवा जो भी परिवर्तन होंगे, वे भी उसे मान्य होंगे।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय  
के आदेशानुसार,

 ०४.७.८८  
(राजेन्द्र कुमार वाणी)

रजिस्ट्रार जनरल

जबलपुर, दिनांक 04/07/2020

पृष्ठांकन C/1655

#### प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार (प्रशा.) / रजिस्ट्रार-कम-पी.पी.एस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर.
2. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, जबलपुर.
3. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु
4. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
5. डिप्टी कंट्रोलर एकाउंट्स, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर.
6. ज्वाइंट रजिस्ट्रार(प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर.
7. असिस्टेंट रजिस्ट्रार स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर.
8. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर.
9. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर(न्यायिक), स्था./लेखा/बजट/पेंशन/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर.
10. सहायक, स्थापना/अवकाश/सेवा पुस्तिका/वेतन पत्रक/डी.पी.एफ./प्रोटोकॉल ऑफीसर उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर.

11. श्री गिरिजा प्रसाद मिश्रा आत्मज स्व. श्री शिवनाथ मिश्रा, रिकार्ड सप्लायर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
12. श्री रावेन्द्र कुमार कुशवाहा आत्मज श्री जगदीश प्रसाद कुशवाहा, कोर्ट अटेंडेन्ट/अटेंडेन्ट/रूम अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
13. श्री राजकुमार कनौजिया आत्मज श्री विश्वनाथ कनौजिया, कोर्ट अटेंडेन्ट/अटेंडेन्ट/रूम अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
14. श्री शिव कुमार दहायत आत्मज श्री रामप्रसाद दहायत, कोर्ट अटेंडेन्ट/अटेंडेन्ट/रूम अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
15. श्री मारुत कुमार वर्मा आत्मज श्री दयाराम वर्मा, कोर्ट अटेंडेन्ट/अटेंडेन्ट/रूम अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
16. श्री रवि शंकर रैकवार आत्मज श्री भवानी शंकर रैकवार, कोर्ट अटेंडेन्ट/अटेंडेन्ट/रूम अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
17. श्री संजय कुमार कुशवाहा आत्मज रव. श्री परागराम कुशवाहा, कोर्ट अटेंडेन्ट/अटेंडेन्ट/रूम अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
18. श्री प्रदीप कुमार राजपूत आत्मज श्री उग्रसेन राजपूत, भृत्य(कोर्ट अटेंडेन्ट/अटेंडेन्ट/रूम अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
 (प्रियदर्शन राम)  
 रजिस्ट्रार(प्रशासन)  
 ५५